

Ref: BBFCBL/BSE/2025-26

August 03, 2025

To,  
BSE Ltd.  
Corporate Relationship Department  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
25<sup>th</sup> Floor, Dalal Street,  
Mumbai-400 001

**Scrip Code No.:511501**

Dear Sir,

**Sub: Submission of copies of Newspaper Publication to Stock Exchange, published pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")**

Pursuant to the provisions of the Listing Regulations, please find enclosed herewith copies of publication of Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2025 approved by the Board of Directors at their meeting held on Saturday, August 02, 2025, published in one English and Hindi Newspaper in "The Pioneer" and "Vir Arjun" respectively, on August 03, 2025.

Kindly acknowledge the receipt and take it on record.

Thanking you,

Yours truly,  
For Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited

Nisha Ahuja  
Director  
DIN : 00001875

*Encl. : as above*







## राजनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष की आलोचना की

पटना, (भाषा)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नीत विपक्ष पर सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित वीरता की सराहना करने के बजाय ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने का शनिवार को आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष ने यहां एक मीडिया घराने द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए यह भी आरोप लगाया कि सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस उग्रवाद के प्रति नरम रही और उसने वोट बैंक की खातिर भगवा आतंकवाद का सिद्धांत गढ़कर निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की।

सिंह ने दावा किया, हाल में, हमने संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की। दोनों ही बहस 16-16 घंटे तक चली। विपक्ष, हमारे आक्रामक रुख अपनाया था, हक्का-बक्का रह गया।

उन्होंने कहा कि यह खेदजनक है कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है, जिसमें देश के बहादुर सशस्त्र बलों ने कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर देश के सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित करना आवश्यक है। सिंह ने कहा, अतीत में भी यही परंपरा रही है। वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान (जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं), हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन सरकार का पूरे दिल से समर्थन किया था। उन्होंने यह भी खोजाकर किया कि 1999 में जब कारगिल की घटना हुई थी और वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, राजनीतिक और सामाजिक एकता प्रदर्शित हुई थी। उन्होंने कहा, आतंकवाद को हमेशा के



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

लिए जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ऐसी एकता आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और पिछली कांग्रेस सरकारों के नरम रुख के बीच के अंतर को भी रेखांकित किया, जो वोट बैंक और टुष्टीकरण की राजनीति की चिंताओं से दबी हुई थी।

सिंह ने 2013 में गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों का जिक्र करते हुए कहा, लोग आज भी 2014 से पहले के दौर को याद करके सिहर उठते हैं, जब आतंकवादी हमले आम बात हो गए थे। इसी शहर में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, दूसरी तरफ, जैसा कि हमने मालेगांव विस्फोट मामले में देखा, भगवा आतंकवाद के

नाम पर निर्दोष लोगों को फंसाया गया। फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। हम भी यही कहते आए हैं। इस मामले में भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हाल में बरी कर दिया गया।

सिंह ने कहा, वोट बैंक की राजनीति आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करती है। पिछले 11 वर्षों में, इस खतरे के खिलाफ हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल आसमान छू रहा है। जो कुछ भी इस उल्हास को कम करता है, वह न तो राष्ट्रहित में है और न ही जनहित में। सिंह ने मोदी के नेतृत्व में तेज आर्थिक प्रगति का भी जिक्र किया और कहा, एक दशक पहले हम दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे।

## पार्क सर्कस स्टेशन पर बेदखली अभियान बंगाल सरकार से सहयोग न मिलने के कारण सफल नहीं हुआ : वैष्णव

नई दिल्ली, (भाषा)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि कोलकाता के पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण हटाने के लिए अक्सर अभियान चलाए जाते रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग के अभाव में ये प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। वैष्णव से कोलकाता के पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन से अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए कहा गया था। रेल मंत्री ने कहा, भारतीय रेलवे ने समय-समय पर पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण हटाने के लिए बेदखली अभियान चलाए हैं, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग के अभाव में ये प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े सवालों पर वैष्णव ने कहा, भारतीय रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों की चौबीस घंटे तैनाती और सीसीटीवी निगरानी प्रणाली जैसी तकनीक के इस्तेमाल के जरिए यात्री सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए जल्दारी कदम उठाती है।

**स्टोर्स ई-प्रॉक्सीरमेन्ट**

निम्नवर्णित कार्य के लिए अधोस्थाकरी द्वारा ई-निविदाएं आमंत्रित किया जाता है।

1. ई-निविदा सं.: DB255531, दिनांक: 29-07-2025: **आइएम विवरण:** आरडीएसओ इंडिया नं. सीजी-13031 के लिए स्टेनलेस स्टील इस्टिन, साथ में आरडीएसओ इंडिया नं. (i) सीजी-13021 ऑल्ट-नहीं, (ii) सीजी-13029 ऑल्ट-नहीं, (iii) सीजी-13030 ऑल्ट-नहीं और (iv) सीजी-13032 ऑल्ट-नहीं, ग्रेड-एसएस 304 के अनुसार सभी उप घटकों के शामिल। [वार्डटी अक्वी: डिलीवरी की तारीख से 30 महीने तक]; **पोपल कोड (घुप):** 33598666; कुल मात्रा: 1400 संख्या; **अग्रिम राशि:** ₹1,28,860/-; निविदा के बंद करने की तिथि और समय : **28-08-2025 को 14:30 बजे।**

उपरोक्त ई-निविदा के निविदा दस्तावेजों के साथ पूरी जानकारी वेबसाइट [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) पर उपलब्ध होगी।

उप सीएमए/डी/डिब्ल्यूगड टाउन

**पूर्वोत्तर सीमा रेल**

यात्राओं की सेवा में मुक्तक के साथ

## अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

**घारा 82 Cr.P.C. देखिए**

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति नाम (1) ओबिजो साइमन नोलुइइसी पुत्र: ओबिजो गता: ओबि 6, सफदरनग एम्बलेव, नई दिल्ली, अन्य स्थान: उबाह-उमुआफा, ओबेरी, नाइजीरिया (2) ओकोह किंस्ले डेस्टिन्सी पुत्र: ओकोह, पता: डकुयुले-105, गली नंबर 18, संत गड, तिलक विहार, नई दिल्ली और अन्य स्थान: 22 बाला स्ट्रीट, मेड्रो, लागोस, नाइजीरिया, ने **FIR No. 146/2011 U/s 420/403/411/468/471/34 IPC** थाना: पटेल नगर, दिल्ली, के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त (1) ओबिजो साइमन (2) ओकोह किंस्ले डेस्टिन्सी, मिल रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त (1) ओबिजो साइमन (2) ओकोह किंस्ले डेस्टिन्सी, फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 146/2011 U/s 420/403/411/468/471/34 IPC** थाना: पटेल नगर, दिल्ली, के उक्त अभियुक्त (1) ओबिजो साइमन (2) ओकोह किंस्ले डेस्टिन्सी, से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **04.09.2025** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार सुश्री आकृति महेंद्र एल.डी. एसोसिएट, कमरा नंबर 145 तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

**DP/10239/CD/2025 (Court Matter)**

## अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

**घारा 82 Cr.P.C. देखिए**

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त प्रियंका, पत्नी: श्री सुनील कुमार, पता: प्लॉट नं. आरजेड 103, खसरा नं. 19/8, बृतल, लोकेश पार्क, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043 ने कोर्ट मुकदमा सं. **804/2020, U/s 135 Indian Electricity Act**, थाना: बाबा हरिदास नगर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त प्रियंका फरार हो गयी है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रही है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि कोर्ट मुकदमा सं. **804/2020, U/s 135 Indian Electricity Act**, थाना: बाबा हरिदास नगर, दिल्ली की उक्त अभियुक्त प्रियंका से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **09.09.2025** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार श्री विनोद कुमार मीणा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विधि न्यायालय (विद्युत) कमरा नं. 609, द्वारका कोर्ट, दिल्ली

**DP/10193/DW/2025 (Court Matter)**

## अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

**घारा 82 Cr.P.C. देखिए**

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त अर्जुन उर्फ छंगा, पुत्र: श्री संजय, पता: मकान नं.-9658, गली नं.-11, मुल्तानी दांडा, पहाड़गंज, दिल्ली ने मुकदमा **FIR No. 175/19, U/s 394/34 IPC**, थाना: राजपौरी गार्डन, नई दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त अर्जुन उर्फ छंगा मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त अर्जुन उर्फ छंगा फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि मुकदमा **FIR No. 175/19, U/s 394/34 IPC**, थाना: राजपौरी गार्डन, नई दिल्ली के उक्त अभियुक्त अर्जुन उर्फ छंगा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **13.10.2025** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार श्री शशांक नंदन मट्ट न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी (परिचय) कमरा नं. 356, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

**DP/10161/WD/2025 (Court Matter)**

## पीएम के हाथों की कठपुतली है चुनाव आयोग: खरगे

नई दिल्ली, (भाषा)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर के विषय को लेकर शनिवार को निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह संवैधानिक संस्था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों की कठपुतली है। उन्होंने कांग्रेस के विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक विधिक सम्मेलन में यह दावा भी किया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन जनता ऐसा नहीं होने देगी।

खरगे ने दावा किया, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मतदाता सूचियों

में नाम जोड़े गए। महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल में 9 हजार मतदाता कैसे हो सकते हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग नरेन्द्र मोदी की कठपुतली है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। यह प्रत्येक भारतीय को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का अधिकार देता है। लेकिन आज संविधान खतर में है।

उन्होंने दावा किया, सत्ता में बैठे नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। भाजपा-आएसएस के बड़े-बड़े नेताओं का हरादा है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द

को हटा दिया जाए। भाजपा को 2024 के चुनाव में 400 सीट मिल जाती, तो वो संविधान को बदल देते।

**Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure) In The Court of Sh. Katyavini Sharma Kendwal, Civil Judge-03, Shahdara District, Court No. 402, New Building, Karkardooma Court, Delhi.**

**Civ Suit No. 628/2024 M/S Haritika Diamonds Vs. Shalini Gola**

**.....Respondent**

**To, Ms. Shalini Gola Sole Proprietor "Balaji Collection", C-349, Balaji Mandir, Vivek Vihar, Delhi-110095, Mob. No. 9205211436, 7042471969**

Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on **03.09.2025** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the Court, this **30<sup>th</sup> July 2025.**

**Seal** **Sd/- Civil Judge-03, Shahdara District, New Building, Karkardooma Court, Delhi.**

**(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure) In The Court of Ms. Chitranshi Arora, Civil Judge-03, Room No. 204, South-West District, Dwarka Courts, New Delhi.**

**Case No. CS SCJ/321/25 State Bank of India Vs Seema Bisht**

**To Seema Bisht R/o FG/121 C, Vikas Puri, New Delhi-110018.**

**The Defendant Above Named**

Whereas plaintiff has instituted the above application, against you for Suit for Recovery of Rs. 2,02,134/- 151 C.P.C. you are hereby summoned to appear in this court in person or by a pleader on the **25<sup>th</sup> Day of August, 2025 at 10:00 O'clock**, to answer the same, failing which the suit/application will be disposed of ex parte.

Given under my hand and the seal of the court this, **Dated- 14.07.2025.**

**Seal** **Sd/- Civil Judge-03, South-West District, Dwarka Courts, New Delhi.**

**In The Court of Ms. Richa Gusain Solanki, DJ-02, South-West, Room No. 605, 6<sup>th</sup> floor, Dwarka Court Complex, Dwarka, New Delhi.**

**PC No. 36/2025 Sunder Singh Vs. State & Ors. DOH: 29.08.2025 Citation Under Indian Succession Act, 1925**

Whereas Petition U/S 276 of Indian Succession Act, 1925 for Grant of Probate in respect of Will dated 06.04.2016, estate left by deceased Late Mishri Devi W/o Late Nathu R/o B-3, Tara Nagar, Kakrola, New Delhi. Petition has been filed by Petitioner Sh. Sunder Singh S/o Late Nathu R/o B-3, Tara Nagar, Kakrola, New Delhi-110078, Mob 9911759586, which is mentioned to the below.

**Property Bearing No. B-3, Tara Nagar, Kakrola, New Delhi-110078, measuring 125 Sq. Yards.**

Whereas the case has been fixed for hearing on **29.08.2025** Notice is hereby given that any person having any interest in the Administration of the Estate of the said deceased may if he/she desires to appear in this court of the said **29.08.2025** and see the proceedings before the Grant of Probate (or for Letter of Administration). Given under my hand and the seal of this court on this **23.07.2025.**

**Seal** **Sd/- DJ-02, South-West, Dwarka Court Complex, Dwarka, New Delhi.**

**ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली**  
ऋण तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

**टीए-1251/2023**

**पंजाब नेशनल बैंक बनाम**

**रजत कुमार प्रमान एवं अन्य**

सेवा में

(1) रजत कुमार प्रमान एवं अन्य सी-48, सेक्टर-34, नोएडा-201301 उत्तर प्रदेश

उपरोक्त उपरोक्त आवेदन के अंतर्गत विरुद्ध रुपये **51,325,386/-** (रुपये इक्यावन लाख पचीस हजार तीन सौ शियावने और शियावी पैसे मात्र) की वसूली हेतु एक याचिका दायर किया है तथा उपरोक्त न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह प्रस्तावित जा चुका है कि आपको सहायक रूप से सूचना देना संभव नहीं है, इसलिए यह सूचना विज्ञापन के माध्यम से दी गई है, आपको दिनांक **26.08.2025** को पूर्व, 10.30 बजे **Ld. Registrar** के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया अधीनस्थ की वेबसाइट [www.tribunall.gov.in](http://www.tribunall.gov.in) देखें फोन: 011-23748473).

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

(1) सभी अधिवक्ता / विवादों "सिस्को वेबैक्क" एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें; (2) "मीडिया वाईडो" और "पार्सलवर्ड" जो रजिस्ट्रार वसूली अधिकारी-1 एवं वसूली अधिकारी-1। द्वारा की जाने वाली सुनवाई की आवाज तिथि के लिए सीसीटीवी अधिकांश वॉर्ड "https://tdt.gov.in/" पर सार्वजनिक सूचना प्रमुख के ऑनलाइन सुनवाई की तिथि से एक दिन पूर्व उपलब्ध होगा।

(1) किसी भी आवश्यकता हेतु, अधिवक्ता/विवादों संबंधित अधिकारी से फोन नं. 011-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 19 जुन, 2025 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार,

**In The Court of Sh. Mansi Malik, Administrative Civil Judge-cum-Commercial Civil Judge-cum-Additional Rent Controller (North-West) Room No. 216, 2<sup>nd</sup> Floor, Rohini Courts, Delhi.**

**Succ. Court/64/2025 NDOH: 17.10.2025 Anil Malhotra Vs State**

**To, Petitioner no. 1: Shri Anil Malhotra S/o Late Shri Kanwal Nain Malhotra Petitioner no. 2: Shri Mukesh Malhotra S/o Late Shri Kanwal Nain Malhotra Both R/o A-1/12, Shakti Nagar Extn, Ashok Vihar, Phase-III, Delhi-110052.**

**Vs State & Ors.**

**For Succession Certificate Under Succession Act, 1925 All Concerned**

Whereas in the above noted petition the applican /petitioners have applied for Succession Certificate from the Hon'ble court under section 372 of the Indian Succession Act 1925 in respect of the debts & assets which is lying in the name of the deceased **Late Smt. Sudarshan Malhotra who was expired on 09.09.2001.** Whereas **17.10.2025 at 10 o'clock** in the forenoon has been fixed for hearing or the publication notice is hereby given to all concerned to file their objection if any given under my hand and the seal of the court this on **22.07.2025.**

**Seal** **Sd/- Administrative Civil Judge-cum-Commercial Civil Judge-cum-Additional Rent Controller (North-West) Rohini Courts, Delhi.**

**In The Court of Sh. Mansi Malik, Administrative Civil Judge-cum-Commercial Civil Judge-cum-Additional Rent Controller (North-West) Room No. 216, 2<sup>nd</sup> Floor, Rohini Courts, Delhi.**

**Succ. Court/66/2025 NDOH: 17.10.2025 Anil Malhotra Vs State**

**To, Petitioner no. 1: Shri Anil Malhotra S/o Late Shri Kanwal Nain Malhotra Petitioner no. 2: Shri Mukesh Malhotra S/o Late Shri Kanwal Nain Malhotra Both R/o A-1/12, Shakti Nagar Extn, Ashok Vihar, Phase-III, Delhi-110052.**

**Vs State & Ors.**

**For Succession Certificate Under Succession Act, 1925 All Concerned**

Whereas in the above noted petition the applican /petitioners have applied for Succession Certificate from the Hon'ble court under section 372 of the Indian Succession Act 1925 in respect of the debts & assets which is lying in the name of the deceased **Late Shri Ram Nath Malhotra who was expired on 11.07.2002.** Whereas **17.10.2025 at 10 o'clock** in the forenoon has been fixed for hearing or the publication notice is hereby given to all concerned to file their objection if any given under my hand and the seal of the court this on **22.07.2025.**

**Seal** **Sd/- Administrative Civil Judge-cum-Commercial Civil Judge-cum-Additional Rent Controller (North-West) Rohini Courts, Delhi.**

**Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure) In The Court of Sh. Isha Thakur, Civil Judge-03, South East, Court No. 11, Block-I, Saket Court Complex, New Delhi.**

**CS SCJ/482/2025 State Bank of India**

**.....Plaintiff Vs Anita Das**

**.....Defendant**

**Next Date: 25.08.2025**

**To, Anita Das Shop No. 1 A 53 A Block A Lower Ground Floor Amrit Puri Garhi East of Kailash Jaggi Bali Gali New Delhi-110065.**

Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **25.08.2025** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the Court, this **17.07.2025.**

**Seal** **Sd/- Civil Judge-03, South East, Saket Court Complex, New Delhi.**

**Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure) In The Court of Sh. Sanjeev Aggarwal, District Judge (Commercial Court)-04, West District, Room No. 202, 2<sup>nd</sup> Floor, Extension Block, Tis Hazari Courts, Delhi.**

**Suit No. CS (Comm)/105/2025 Bank of Baroda**

**.....Plaintiff Vs. Md Akram and Anrs**

**....Defendant**


**To, Defendant No.-2 Sh. Shahaj R/o H. No. 3046, 1st And 2nd Floor, Gali No. 34, Tughlakabad Extn., New Delhi-110019.**

**The Defendant Above Named.**

Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **29.08.2025** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this **28.07.2025.**

**Seal** **Sd/- District Judge (Commercial Court)-04, West District Extension Block, Tis Hazari Courts, Delhi.**

BHARAT BHUSHAN FINANCE & COMMODITY BROKERS LIMITED				
CIN-L67120DL1992PLC049038, Tel No: 011-49800900 Fax: 011-49800933				
Email: commodities@bharatbhushan.com, Website: www.bbinvestments.in				
Regd. Office : 503, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi-110001				
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2025				
(Rs. in Lakhs)				
Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED
1. Total Income from operations	58.60	-13.76	23.61	29.34
2. Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	45.99	-21.46	14.07	-13.70
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	45.99	-21.46	14.07	-13.70
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	41.39	-18.71	11.11	-12.96
5. Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	211.92	-105.15	185.99	-19.85
6. Equity Share Capital	338.04	338.04	338.04	338.04
7. Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinuing operations)				
- Basic	1.22	-0.55	0.33	-0.38
- Diluted	1.22	-0.55	0.33	-0.38
Notes:-				
1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter/Three Months ended June 30, 2025 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors and filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Unaudited Financial Results for the Quarter/Three Months ended June 30, 2025 is available on the Stock Exchange website ( <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> ) and on Company's website ( <a href="http://www.bbinvestments.in">www.bbinvestments.in</a> ).				
2. The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 02.08.2025.				
3. The Company came out with the right issue in the ratio of 1:1 at par value of Rs. 10 each. The issue was successfully subscribed and the allotment of 3380400 equity shares on right basis was made on 16th July 2025 duly approved by the BSE.				
4. The figures of the previous period have been regrouped/reclassified, wherever considered necessary.				
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS				
Sd/- Vijay Bhushan Director DIN: 00002421				
Place : New Delhi Date : August 02, 2025				

**उत्तर मध्य रेलवे**

**शुद्धि पत्र**

निविदा सूचना सं. HQ0MECH(CHG)/3/2025/Tender Dated 18.07.2025

निविदा सूचना सं. NR-HQ0MECH(CHG) 3/2025 Tender शुद्धि पत्र, निविदा सूचना सं. NR-HQ0MECH(CHG) 3/2025 Tender उत्तर रेलवे की बकशींग/ कोचिंग डिपो में नॉन-एसीआईएफ कोचों में शीटचाली का उन्मयन। मात्रा -850 आईसीएफ नॉन-एसी कोच।

S. no./ Clause	Description	Existing	Should be read as
11.7	MCF specifications	Field trial	Note (added to the clause): The latest guidelines issued, if any, from Railway Board/MCF RBL/any other Competent Authority will supersede the clause. In case no new guidelines are issued, the existing clause will prevail.

इस निविदाओं को IREPS वेब साइट पर लोड कर दिया गया है।

**ग्राहकों की सेवा में मुक्तक के साथ** **2359/25**

**उत्तर मध्य रेलवे**

ई-निविदा सूचना सं.- JHS-N-W-35-25 दिनांक - 31.07.2025

वरिष्ठ मंडल सिगनल व दूरसंचार अभियंता उत्तर मध्य रेल हावड़ा भाग के राष्ट्रपति के लिए व उनकी और से निर्माता/निर्माता के हेतु ऑनलाइन (ई-टेंडरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते हैं।

**कार्य का नाम :** प्रोविशन ऑफ S&T वर्क इन कनेक्शन बिच CTAR/TAR इन बीन-घोल्पर सेक्शन ऑफ झोसी डिवीजन।

**कार्य लागत लगभग :** Rs.21356360.28/- **घरौरेर राशि :** Rs. 256800/-

निविदा प्रपत्र का मूल्य : Nil **निविदा खुलने की तिथि :** 25.08.2025 Time 15:00

**संबंधित पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन अवधि :** 12 माह

● निविदा दिनांक 25.08.2025 को 15:00 बजे तक ऑन लाईन जमा कर सकते। ● पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेब साइट [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) (NORTH CENTRAL RLY/JHANSI DIVISION-SAND T) पर देखें। **1368/25/AS**

**North central railways @ www.ncr.indianrailways.gov.in @ CPONCR**

**अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा**

**घारा 82 Cr.P.C. देखिए**

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त जोवा एबेल, पुत्र: एबेल, पता: चंदर विहार, नांगलोई, दिल्ली ने **FIR No. 862/2021, U/s: 14 F Act**, पुलिस थाना तिलक नगर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त जोवा एबेल मिल नहीं रहा है। और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त जोवा एबेल फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **पुलिस थाना तिलक नगर, दिल्ली** के अभियुक्त जोवा एबेल से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **25.09.2025** या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार, डॉ. अनंजा बिस्नोई, जेएमएफसी-07, कमरा नंबर 289 तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

**DP/9932/WD/2025**

**अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा**

**घारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 देखिए**

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त संजय पुत्र धरम, निवासी एमएससी-130, मोरल्ला योगमाया नबी करीम, दिल्ली, ने **FIR No. 230/2016 U/s 379/411 IPC, पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर, सैट्रल जिला, नई दिल्ली**, के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त संजय मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त संजय फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 230/2016 U/s 379/411 IPC, पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर, सैट्रल जिला, नई दिल्ली**, के उक्त अभियुक्त संजय से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **31.10.2025** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार सुश